न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 103/2022 तारीख दायर :–4.2.2022 दिनांक निर्णय :–16.02.20221

सरकार जरिये पटवारी हल्का पलवा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2022/2

बनाम

देवकरण पुत्र सुखराम जाति मीना निवासी डाबला मीना तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पलवा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल देवकरण पुत्र सुखराम जाति मीना निवासी डाबला मीना तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम डाबला मीना के गैर मु0 रास्ता आ0ख0न0 373/0.10 में से रकबा 0.06 है0 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल रबी मे सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल देवकरण पुत्र सुखराम जाति मीना उपस्थित आया। गैरसायल के द्वारा कोई नोटिस जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किये गये। राजकीय भूमि गैर मु0 रास्ता पर अतिक्रमण के सम्बंध में पटवारी हल्का पलवा के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का पलवा ने अपने बयान में बताया है कि अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी फसल खरीफ सम्वत् 2076 में अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को दिनांक 09.02.2021 को बेदखल कर दिया गया था। इस प्रकार अतिक्रमी पश्चात्वृति अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की पश्चात्वृति रिपोर्ट व बयान पटवारी दैनिक डायरी, घटना बही दिनांक 15.06.2021 में भी पूर्व में उक्त आराजी से अतिक्रमी को बेदखल किया जाना साबित होने से अतिक्रमी का बार–बार उक्त गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना साबित होता है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पश्चात्वृति अतिक्रमी होने से अतिचारी को एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्ड़ित किया जाता है। साथी ही शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। राजस्व लेखों में मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का पलवा को लिखा जावे। पटवारी हल्का भू0अ0निरीक्षक को फसल को कब्जे राज लेकर नीलामी हेतु लिखा जावे। एस.एच. ओ. राजगढ़ को गिरफ्तारी वांरट जारी हो।

आज दिनांक 16.02.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।